



जर्सी शहर का बीमारी के लिए अर्जित छुट्टी संबंधी अध्यादेश अक्सर पूछे जाते प्रश्न



नया कानून 24 जनवरी 2014 से प्रभावी होगा

जर्सी सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल ने हाल ही में जर्सी शहर का बीमारी के लिए अर्जित छुट्टी संबंधी अध्यादेश (Jersey City Earned Sick Time Ordinance) पारित किया जो मांग करता है कि जर्सी शहर में 10 या उससे अधिक कर्मचारियों के साथ संचालन करने वाले सभी स्थानीय कारोबार अपने कर्मचारियों को प्रति वर्ष बीमारी के लिए वेतन के साथ 5 दिन प्रदान करें और कम कर्मचारियों वाली कंपनियां बीमारी के लिए वेतन के बिना 5 दिन प्रदान करें। नीचे कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दिए हैं:

नियोक्ताओं के लिए

क्या यह नया अध्यादेश ओबामाकेयर का भाग है?

नहीं। यह म्यूनिसिपल अध्यादेश है और अफोर्डबल केयर एक्ट, जिसे आमतौर पर ओबामाकेयर के रूप में जाना जाता है, का भाग नहीं है।

अगर मेरी कंपनी में नौ या कम कर्मचारी हैं, तो क्या कर्मचारी बीमारी के लिए छुट्टी के लिए पात्र हैं?

नौ या उससे कम कर्मचारियों वाले कारोबार के कर्मचारी काम करने के प्रति 30 घंटों पर एक घंटे, वार्षिक रूप से अधिकतम 40 घंटे तक, की वेतन के बिना बीमारी की छुट्टी लेने के पात्र हैं।

क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि कर्मचारी पूर्णकालिक या अंशकालिक?

नहीं। पूर्णकालिक/अंशकालिक स्थिति का निर्धारण नियोक्ता द्वारा किया जाता है। बीमारी के लिए अर्जित छुट्टी का कानून पूर्णकालिक या अंशकालिक कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं करता है। जर्सी शहर में एक कैलेंडर वर्ष में 80 घंटे काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कानून के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी है।

मेरे सभी कर्मचारियों को सामूहिक सौदेबाजी समझौते के अनुसरण में रखा गया था। क्या यह कानून हमारे समझौते में परिवर्तन करेगा?

नहीं। आपका मौजूदा श्रम समझौता जैसा है वैसा बना रहेगा और नया कानून इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता है।

क्या मुझे ऐसे रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे जिनकी सिटी द्वारा समीक्षा की जा सकती है, मेरे कर्मचारियों द्वारा काम करने के घंटों की संख्या और उनके द्वारा लिए गए भुगतान के साथ बीमारी के समय का दस्तावेज़ीकरण करना है?

हां, तीन वर्षों तक, और सिटी के पास इन रिकॉर्ड को देखने का अधिकार सुरक्षित है।

अगर मैं इन रिकॉर्ड को नहीं रखता हूँ तो क्या होगा?

मांगे जाने पर रिकॉर्ड प्रदान करने में असफल रहने पर "खंडन योग्य धारणा का निर्माण होता है" कि आपने अध्यादेश का उल्लंघन किया है।

क्या मुझे कर्मचारियों को शहर के बीमारी के समय संबंधी कानून के बारे में बताना होगा?

हां। आपको प्रत्येक कर्मचारी को नए कानून के अधीन उनके अधिकारों के संबंध में लिखित सूचना प्रदान करने की ज़रूरत होगी।

क्या मुझे अपने कारोबार में कानून के बारे में कुछ प्रदर्शित करना होगा?

हां। आपको प्रत्येक कारोबार में "प्रत्यक्ष और सुलभ" स्थान पर इस पोस्टर को प्रदर्शित करना होगा।

यदि मेरे अधिकतर कर्मचारी स्पेनिश बोलते हैं, तो क्या मुझे अधिसूचनाएं और पोस्टर स्पेनिश भाषा में प्रदान तथा प्रदर्शित करने होंगे?

हां। आपको अधिसूचनाएं तथा पोस्टरों का अनुवाद उस किसी भी भाषा में प्रदान करना होगा जो कार्यबल के कम-से-कम 10 प्रतिशत लोगों की प्रथम भाषा है।

अगर मैं अधिसूचनाएं प्रदान नहीं करता हूँ, तो क्या मुझ पर जुर्माना हो सकता है?

हां। नए कानून की अधिसूचना प्रदान न करने के कारण सूचना प्रदान न किए गए प्रत्येक कर्मचारी के लिए \$100 और प्रत्येक संस्थान जहां पोस्टर प्रदर्शित नहीं किया गया था, के लिए \$500 तक का जुर्माना हो सकता है।

यदि कोई कर्मचारी बीमारी के समय को परिवार के किसी बीमार सदस्य की देखभाल करने के लिए प्रयोग करने की मांग करता है, तो क्या मैं उस कर्मचारी से परिवार के उस सदस्य की स्वास्थ्य समस्या का वर्णन देने के लिए कह सकता हूँ?

नहीं।

यदि मेरे एक रेस्तरां में आठ कामगार और दूसरे में सात कामगार हैं, दोनों रेस्तरां जर्सी सिटी में हैं, तो क्या मुझे बीमारी के लिए अर्जित समय प्रदान करने से छूट प्राप्त है?

नहीं। क्योंकि आपके पास कुल 10 से अधिक कामगार हैं, आपको उन सभी को बीमारी के लिए अर्जित छुट्टी प्रदान करनी होगी।

यदि मैं पहले ही अपने कर्मचारियों को छह दिन का बीमारी के लिए अर्जित समय प्रदान करता हूँ, तो क्या मुझे इसे कम करके पाँच दिन करना होगा?

नहीं। कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अधिक मात्रा में लाभ प्रदान करने से रोकता हो।

मैं पहले ही अपने कर्मचारियों को पाँच दिनों का अर्जित "निजी समय" प्रदान करता हूँ। क्या अब मुझे उन्हें अतिरिक्त पाँच दिनों की बीमारी के लिए अर्जित छुट्टी देनी होगी?

नहीं। यदि निजी समय का लाभ नए कानून के समान संग्रहण अपेक्षाओं की पूर्ति करता है और बीमारी के लिए अर्जित समय के समान प्रयोजनों हेतु और समान परिस्थितियों के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जा सकता है, तो आपको अतिरिक्त बीमारी के लिए अर्जित समय प्रदान करने की ज़रूरत नहीं है।



जर्सी शहर का बीमारी के लिए अर्जित छुट्टी संबंधी अध्यादेश अक्सर पूछे जाते प्रश्न



नया कानून 24 जनवरी 2014 से प्रभावी होगा

जर्सी सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल ने हाल ही में जर्सी शहर का बीमारी के लिए अर्जित छुट्टी संबंधी अध्यादेश (Jersey City Earned Sick Time Ordinance) पारित किया जो मांग करता है कि जर्सी शहर में 10 या उससे अधिक कर्मचारियों के साथ संचालन करने वाले सभी स्थानीय कारोबार अपने कर्मचारियों को प्रति वर्ष बीमारी के लिए वेतन के साथ 5 दिन प्रदान करें और कम कर्मचारियों वाली कंपनियां बीमारी के लिए वेतन के बिना 5 दिन प्रदान करें। नीचे कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दिए हैं:

कामगारों के लिए

कौन पात्र है?

उन कंपनियों में पूर्णकालिक, अंशकालिक और मौसमी कामगार जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी काम करते हैं। फ्रीलांसर या स्वतंत्र ठेकेदार पात्र नहीं हैं।

मैं वेतन के साथ बीमारी के लिए अर्जित कितने समय के लिए पात्र हूँ?

प्रति 30 घंटे काम करने पर बीमारी के लिए अर्जित समय का एक घंटा, जिसकी अधिकतम सीमा वार्षिक आधार पर 40 घंटे (या पाँच दिन) है।

अगर मैं ऐसी कंपनी के लिए काम करता हूँ जिसमें नौ या उससे कम कर्मचारी काम करते हैं?

आप प्रति 30 घंटे काम करने पर वेतन के बिना बीमारी समय के एक घंटे के पात्र हैं, जिसकी अधिकतम सीमा वार्षिक तौर पर 40 घंटे है।

क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि मैं पूर्णकालिक या अंशकालिक कर्मचारी हूँ?

नहीं। पूर्णकालिक/अंशकालिक स्थिति का निर्धारण नियोक्ता द्वारा किया जाता है। बीमारी के लिए अर्जित छुट्टी का कानून पूर्णकालिक या अंशकालिक कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं करता है। जर्सी शहर में एक कैलेंडर वर्ष में 80 घंटे काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कानून के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी है।

क्या मैं काम करना आरंभ करने के साथ ही पात्र बन जाता हूँ?

नहीं। आप कार्य आरंभ करने के साथ ही बीमारी की छुट्टी को जोड़ना आरंभ कर देते हैं, लेकिन आपका नियोक्ता नौकरी पर आपके 90 दिन पूरे होने से पहले इसे आपको देने के लिए बाध्य नहीं है।

क्या मैं अपनी इस्तेमाल न की गई बीमारी की छुट्टी को आगे ले जा सकता हूँ?

हां, लेकिन आपके नियोक्ता को वार्षिक रूप से पाँच दिन से अधिक देने की ज़रूरत नहीं होती है। सिटी के अधिकारियों ने इस ज़रूरत को शामिल किया है ताकि प्रत्येक जनवरी की पहली तारीख को आपके पास शून्य बीमारी दिवस न हों।

अगर मैं नौकरी छोड़ता हूँ तो क्या मुझे किसी इस्तेमाल न की गई बीमारी की छुट्टी के लिए वेतन प्राप्त हो सकता है?

कानून नियोक्ताओं से इस्तेमाल न किए गए समय के लिए कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति देने की मांग नहीं करता है।

मैं अपनी नौकरी छोड़ देता हूँ और मुझे उसी कंपनी द्वारा दोबारा से काम पर रख लिया गया। क्या मैं अपना इकट्ठा किया गया बीमारी का समय खो दूंगा?

नहीं, अगर आपको नौकरी छोड़ने के दह महीने के भीतर दोबारा काम पर रख लिया गया था। यदि समय छह महीने से अधिक है, तो आप अपना इकट्ठा किया गया बीमारी का समय खो देंगे।

मेरी कंपनी को हाल में किसी अन्य फर्म द्वारा खरीद लिया गया था। क्या मैं अपना इकट्ठा किया गया बीमारी का समय खो दूंगा?

नहीं। यदि कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी को खरीदती है तो मूल कंपनी के कर्मचारी अपने इकट्ठे किए गए बीमारी के समय को बनाए रखते हैं।

क्या मैं अपने बीमारी समय को केवल तभी प्रयोग कर सकता हूँ अगर मैं बीमार हूँ?

आप अपने बीमारी समय का उस समय प्रयोग कर सकते हैं यदि आप बीमार हैं लेकिन उस समय भी अगर आपको निवारण देखभाल के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है या यदि आपको अपने परिवार के सदस्य (बच्चा, माता-पिता, पत्नी/पति, सिविल यूनियन पार्टनर, डोमेस्टिक पार्टनर, दादा-दादी, पोता-पोती या भाई-बहन) की देखभाल करने की ज़रूरत है जो बीमार है या जिसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। बीमारी का समय का उस स्थिति में भी प्रयोग किया जा सकता है अगर आपके रोजगार का स्थान या आपके बच्चे का स्कूल सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के कारण बंद है।

यदि मैं एक वर्ष में पाँच बीमारी के लिए अर्जित दिनों का हकदार हूँ और सभी पाँच ले लेता हूँ, तो क्या मैं अपने बॉस के सामने मुसीबत में पड़ सकता हूँ?

नहीं। कानून नियोक्ताओं को उन कर्मचारियों के विरुद्ध बदले की कार्रवाई करने से रोकता है जो बीमारी के उस समय का प्रयोग करते हैं जिसके लिए वे हकदार हैं।

अगर मेरा ऐसा मानना है कि मेरा नियोक्ता मुझे बीमारी का वह समय नहीं दे रहा है जिसका मैं हकदार हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए?

आपके पास दो विकल्प हैं। आप जर्सी सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ऐन्ड ह्यूमन सर्विसिज़ (जर्सी शहर के स्वास्थ्य और मानव सेवाएं विभाग) को (201) 547-6800 पर कॉल कर सकते हैं, जो शायद आपकी सहायता कर सकता है। या आप जर्सी सिटी म्यूनिसिपल कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।